

छात्र के पिता/माता/अभिभावक द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

सत्र 20.....- 20.....

मैं.....पिता/माता/अभिभावक
छात्रा.....वर्ष 2014-15 शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक बिलासपुर छ.ग. में प्रचलित विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश 7 के नियम 12 एवं 13 आचरण संहिता के निम्नांकित प्रावधान से पूर्णतः भिन्न हूँ।

1. कि छात्रा संस्था में सदैव अच्छा व्यवहार करेगी परिश्रमपूर्वक अध्ययन करेगी, शिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगी, सहपाठ्यचारी कार्यकलापों में समुचित रूप से भाग लेगी और संस्था के अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करेगी।
2. यदि ये संस्था के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करने का दोषी पाये जाने या निरंतर आलस्य का दोषी पाये जाने या दुराचरण का दोषी पाये जाने पर प्राचार्य अपराध के स्वरूप तथा गंभीरता के अनुसार आचरण संहिता में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार:-
 - (क) छात्रा को एक समय एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिये कक्षा में भाग लेने से निलंबित कर सकेंगे। या
 - (ख) छात्रा को अगली परीक्षा में भाग लेने से अनर्ह घोषित कर सकेंगे। या
 - (ग) छात्रा को संस्था से निकाल (सस्पेंड) कर सकेंगे।
 - (घ) छात्रा को निष्कासित (रेस्ट्रिकेट) कर सकेंगे। या
3. उपरोक्त के अतिरिक्त मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि छात्रा ऐसी गतिविधि जो संस्था के स्वच्छ वातावरण या अनुशासन को दूषित करें या संस्था में पठन-पाठन की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करें में भाग नहीं लेगी।
4. मैं स्वीकार करता हूँ कि छात्र के संस्था में प्रविष्ट रहने की अवधि में किसी भी समय किसी भी कारण संस्था के प्राचार्य द्वारा बुलाय जाने पर जिसकी सूचना मुझे छात्र के माध्यम से या सीधे प्राप्त होगी मैं निर्दिष्ट अवधि में प्राचार्य के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, यह अधिकार होगा कि वे छात्र को निलंबित कर सकें या उसका प्रवेश निरस्त कर सकेंगे।
5. मैं यह भी स्वीकार करती हूँ कि अध्ययनकाल में छात्रा के एक संस्था से दूसरी संस्था में योग्यता या अन्य कारणों से प्रवेश या स्थानांतरण की स्थिति में यह वचन पत्र पूर्व की संस्था द्वारा स्थानांतरण की संस्था को भेजा जा सकेगा तथा दूसरी संस्था में इसी वचन पत्र की शर्तें बंधनकारी रहेंगी। (जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान..... दिनांक.....

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा घोषणा

मुझे यह सूचित कर दिया गया है कि यदि मैं लगातार दो सप्ताह तक बिना लिखित अनुमति के महाविद्यालय से अनुपस्थित रहूंगी तो शासन के निर्देशानुसार प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। मैंने रैगिंग अधिनियम पढ़ लिया है, समझ लिया है, व प्राप्त कर लिया है, तथा यह मुझे मान्य है।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र के हस्ताक्षर

दिनांक..... स्थान.....

प्राचार्य,
शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक,
बिलासपुर छ.ग.